कोलोरेडो स्वच्छ भीतरी वायु अधिनियम 2006

क्रियान्वयन तिथि :1 जुलाई 2006

घोषणा करता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य कोलोरेडो निवासियों को तंबाकू के धुएँ से बचा कर उनके स्वास्थ्य, आराम और वातावरण को संरक्षित करना व बेहतर बनाना है।

भीतरी क्षेत्र को धुआँ-मुक्त रखने की आवश्यकता है

इसमें निम्नलिखित सम्मलित हैं ,पर यह इन तक सीमित नहीं है:

- सार्वजनिक स्थल और इमारतें जैसे -इलेवेटर्स, आरामकक्ष ,नाट्यशाला ,संग्रहालय , पुस्तकालय ,विद्यालय ,शैक्षणिक संस्थान ,सेवानिवृत्ति सुविधाएँ और नर्सिंग होम
- लॉबियाँ ,स्वागत क्षेत्र ,हालपथ और अन्य कोई साझा-उपयोग का क्षेत्र
- नियोजन का कोई स्थल जिसे छूट प्रदान न हो
- रेस्तराँ ,बार ,सीमित क्रीड़ा सुविधाएँ ,बिलियर्ड या पूल कक्ष ,बॉलिंग गली ,पंसारी की दुकान ,और अन्य कोई खाद्य सेवा संगठन
- आंतरिक क्रीड़ा क्षेत्र ,व्यायाम स्थल और सभा भवन
- स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ ,अस्पताल ,स्वास्थ्य निदान गृह ,चिकित्सक का कार्यालय और बाल देखभाल (डे-केयर) सुविधाएँ
- अतिथियों को होटल या मोटल के %75 से कम शयनकक्ष न दिए गए हों
- जूरी के प्रतीक्षा और विमर्श कक्ष ,न्यायालय कक्ष और सार्वजनिक सभाएँ
- सरकारी स्वामित्व का किसी भी तरह का सार्वजनिक परिवहन

प्रवेश मार्ग

- इस विधि के अधिकारक्षेत्र के संस्थानों के प्रवेश मार्ग धुआँमुक्त होने चाहिएँ।
- "प्रवेश मार्ग" से अभिप्राय है, इमारत को जाने वाला सामने या मुख्य द्वार के बाहर का क्षेत्र। प्रवेश मार्ग में द्वार के बाहर निर्दिष्ट दायरे की सार्वजनिक या निजी संपत्ति भी आती है। निर्दिष्ट दायरे का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण करेगा या यदि स्थानीय प्राधिकरण ने निर्धारण न किया हो तो यह 15 फुट होगा।
- स्थानीय प्राधिकरण चाहे तो प्रवेश वीथि सहित 15 फुट से कम के क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

छूट

- निजी घर ,निवास और वाहन यदि ये बाल गृह या दिवस देखरेख के लिए इस्तेमाल न किए जाते हों।
- निजी किराए की लिमुज़ीन
- होटल या मोटल कक्षों के %25 तक
- फुटकर तंबाकू कारोबार
- 31दिसंबर 2005 से पहले का 'सिगार-तंबाकू बार' के रूप में परिभाषित संस्थान
- किसी व्यवसाय के बाहर का क्षेत्र ,उक्त रूप से परिभाषित प्रवेश मार्ग को छोड़ कर
- जुआघर की रिटेल तल योजना
- डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूर्णतः बंद और स्वतंत्र रूप से झरोखेयुक्त हवाई अड्डे
- तीन या उससे कम कर्मचारियों वाले नियोजक जो जनता के लिए प्रतिबंधित हैं
- किसी फार्म या रैंच पर निजी ,गैर-आवासीय इमारत जिसकी वार्षिक आय 5,00,000डालर से कम हो

दंड

इस विधि का उल्लंघन 2 श्रेणी का छोटा अपराध है।

- वह व्यक्ति विधि-विरुद्ध है जो ऐसे किसी परिसर के उपयोग का स्वामी ,प्रबंधक , प्रचालक या किसी रूप में नियंत्रक है जो इस विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है।
- किसी व्यक्ति का ऐसे क्षेत्र में धूम्रपान करना जहाँ धूम्रपान प्रतिबंधित हो ,ग़ैर कानूनी है।
- एक कैलेंडर वर्ष में पहले उल्लंघन पर 200 डालर का जुर्माना
- एक कैलेंडर वर्ष में दूसरे उल्लंघन पर 300 डालर का जुर्माना
- एक कैलेंडर वर्ष में तीसरे उल्लंघन पर 500 डालर का जुर्माना

प्रत्येक दिन के निरंतर उल्लंघन को अलग उल्लंघन माना जाएगा।

प्रवर्तन

- इस विधि का प्रवर्तन स्थानीय प्राधिकारण करेगा

इस विधि की प्रति के लिए, *www.SmokeFreeColorado.org* पर जाएँ।